झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
:: संकल्प ::

कृपया पढ़ें :–

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक–253 / गो0, दिनांक 08.11.2006
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–2371, दिनांक 26.04.2008

श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक– 645 / 03, गृह जिला– राँची) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ के कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–253 / गो0, दिनांक 08.11.2006 द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया है। श्री नायक के विरूद्ध निम्नवत् आरोप हैं :–

1. श्री नायक दिनांक 29.08.1995 एवं 30.08.1995 को औचक निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए।

2. श्री नायक से दिनांक 06.11.1995 तक 10 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु सूची माँगी गयी थी, किन्तु दिनांक 13.11.2005 तक उन्होंने सूची नहीं भेजी, जिससे कार्य बाधित हुआ।

3. वर्ष 1994–95 के लंबित इंदिरा आवास योजनाओं में से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ ने मात्र 2 ही पूर्ण कराया एवं 6 लंबित रह गया। वर्ष 1995–96 में 218 यूनिट इंदिरा आवास योजना के विरूद्ध दिनांक 29.11.2005 तक एक भी इंदिरा आवास पूर्ण नहीं हुआ था।

4. श्री नायक द्वारा बभनगामा ग्राम में मिट्टी के गिलावा पर 32 इंदिरा आवास बनाया जा रहा था, जबकि तत्कालीन उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–610 / वि0, दिनांक 05.10.1993 द्वार स्पष्ट निदेश दिया गया था कि मात्र पक्के इंदिरा आवास बनेगें। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्थल निरीक्षण के बावजूद वहाँ मिट्टी का इंदिरा आवास बनाया जा रहा था। लाभान्वित से पूछने पर पता चला कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने ही उन्हें मिट्टी के गिलावे पर इंदिरा आवास बनाने का आदेश दिया था।

5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारठ द्वारा दो अलग–अलग आदेश पंजी प्रखण्ड कार्यालय में खोली गयी है, जो सरकारी नियम के विरूद्ध है।

6. दिनांक 23.02.1996 को प्रखण्ड मुख्यालय, सारठ में निरीक्षण के क्रम में अनुपस्थित पाए गए। अनुपस्थिति के लिए स्पष्टीकरण पृच्छा में प्र0 वि0 पदा0 ने स्वीकार किया कि वे 23.02.1996 से 25.02.1996 तक आकस्मिक अवकाश के लिए उपायुक्त, देवघर को अवकाश आवेदन देकर गये थे तथा दिनांक 26.02.1996 को रात्रि में प्रखण्ड मुख्यालय पहुँचे थे। बिना आकस्मिक स्वीकृत कराये ही अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित थे।

7. परिवाद–पत्र के जाँचोपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि सारठ प्रखण्ड अंतर्गत सबैजोर पंचायत के दो लाभान्वितों को वर्ष 1995 में इंदिरा आवास की दो योजनाएँ दी गयी थीं तथा दोनों लाभान्वितों को प्राक्कलित राशि 14,500 रूपये के विरूद्ध 14,000 रूपये के अग्रिम का भुगतान किया गया है। दोनों लाभान्वित निर्धारित मापदंड के अनुसार, गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं तथा

इनका घर फूस का नहीं है। दोनों लाभान्वितों के घर के लिंटल तक ईंट की जोड़ाई पुराना है तथा इस वर्ष का नहीं है। लिंटल के ऊपर ईंट की जोड़ाई एवं ढलाई इस वित्तीय वर्ष की है।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–2371, दिनांक 26.04.2008 एवं अनुवर्ती स्मार–पत्रांक–5400, दिनांक–14.10.2008 द्वारा श्री नायक से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री नायक के पत्र, दिनांक 16.07.2008 द्वारा निम्नवत् स्पष्टीकरण समर्पित किया गया :–

आरोप सं0–1. उप विकास आयुक्त, देवघर द्वारा वितन्तु संवाद द्वारा भेजे गये कार्यालय निरीक्षण की सूचना ससमय प्राप्त नहीं होने तथा योजना संबंधी परामर्श हेतु जिला विकास पदाधिकारी, देवघर के पास गये थे, इसलिए ये निरीक्षण के समय प्रखण्ड कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके।

आरोप सं0–2. सारठ प्रखण्ड में 22 पंचायत हैं, जिसमें करीब 5000 किसानों में से मात्र 10 किसानों का चयन कर सूची भेजना था। चयन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः निर्धारित तिथि तक सूची नहीं भेजी जा सकी।

आरोप सं0–3. वर्ष 1994–95 में 8 इंदिरा आवास ही नहीं, बल्कि 116 इंदिरा आवास बनाने की योजना ली गयी थी। इसमें से 108 इंदिरा आवास पूर्ण हो चुके थे। मात्र 8 इंदिरा आवास लंबित थे। मेरे सतत् प्रयास के बावजूद लाभान्वितों ने योजना निर्माण कार्य छोड़कर एकाएक मजदूरी करने बंगाल चले गये। उनके वापस आने के पश्चात् लंबित 8 इंदिरा आवास पूर्ण करा दिया गया। इस प्रकार, सभी 116 इंदिरा आवासों को पूर्ण करा दिया गया था। वर्ष 1995–96 में सारठ प्रखण्ड को 218 इंदिरा आवास की स्वीकृति माह अगस्त 1995 को मिली थी। सभी योजनाएँ लाभुकों के द्वारा कराया जा रहा था। सारठ प्रखण्ड में सेंट्रिंग के लिए पट्ठा–बल्ला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहने के कारण निर्धारित तिथि 29.11.2005 तक पूर्ण नहीं कराया जा सका। इस विषय में दिनांक 05.11.1995 को जिला स्तरीय बैठक में उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त महोदय को बता दिया गया था। बाद में सभी इंदिरा आवासों को बारी–बारी से ढलाई कर पूर्ण करा दिया गया था।

आरोप सं0–4. इंदिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका के अध्याय–7 के कंडिका–51.8 एवं 54 में स्पष्ट वर्णित है कि इसका कोई डिजाईन निर्धारित नहीं है तथा किफायती प्रोद्योगिकी का अधिकतम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उपायुक्त के आदेशानुसार लाभुकों को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री जगरनाथ गुप्ता, क्षेत्रीय पर्यवेक्षक श्री बलराम प्रसाद एवं जन सेवक श्री शालिग्राम सिंह के अलावे स्वयं मेरे द्वारा भी दिशा–निर्देश दिया जाता रहा, लेकिन निर्देश के बावजूद 32 में से 10 लाभुकों ने अपने स्वेच्छा एवं सुरक्षा के ख्याल से मिट्टी गिलावे से 15 ईंच की जोड़ाई का कार्य शुरू किये थे, लेकिन इसे तुड़वाकर पुनः उपायुक्त के आदेशानुसार 10 ईंच ईंट–सीमेंट का जोड़ाई कराया गया।

आरोप सं0–5. प्रखण्ड सारठ में एक ही आदेश पंजी से कार्यान्वयन हो रहा था। मेरे योगदान देने के पूर्व ही तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा खोला गया आदेश पंजी कार्यालय में ही गुम हो गया था। अतः दूसरा आदेश पंजी खोला गया। पूर्व का गुम आदेश पंजी मिलने के बाद एक ही आदेश पंजी से कार्य किया जा रहा था।

आरोप सं0–6. मैंने दिनांक 23.02.1996 से 25.02.1996 तक के आकस्मिक अवकाश का आवेदन उपायुक्त को दिया। उनके अनुमति के पश्चात् ही आवश्यक कार्य से राँची गया था, जो कि लगभग 300 किमी की दूरी पर है। सारठ वापसी के दौरान बस में खराबी होने के कारण

दिनांक 26.02.1996 को समय पर कार्यालय पहुँचने में थोड़ी देरी हुई। मैं सारठ प्रखण्ड में 2 वर्ष 10 माह कार्यरत रहा। इतनी अवधि में कभी भी अनुपस्थित रहने का कोई आरोप नहीं है।

आरोप सं0–7. मेरे अलावे तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया था। सभी लाभुकों का फूस का मकान एवं गरीबी रेखा से निर्धारित मापदंड के अंतर्गत पाया गया। जहाँ तक दो लाभुकों के गरीबी रेखा के नीचे के नहीं होने का प्रश्न है–इस संबंध में सच्चाई यह है कि दोनों लाभुक फूस के मकान को तोड़कर ही पुरानी ईंट से जोड़ाई कर रहे थे। इसी से निदेशक महोदय को लगा कि पुराने घर को ही नया रूप दिया जा रहा है। दोनों लाभुक गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तथा दोनों का इंदिरा आवास पूर्ण हो चुका है।

श्री नायक के विरूद्ध आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि सभी आरोप उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होते हैं।

उक्त प्रमाणित आरोपों हेतु श्री नायक के विरूद्ध पेंशन नियमावली के नियम–139(बी) के तहत् 5(पाँच) प्रतिशत पेंशन राशि की एक वर्ष की अवधि के लिये कटौती का दण्ड प्रस्तावित किया गया, जिसके लिये विभागीय पत्रांक–1103, दिनांक–10.02.2015 द्वारा श्री नायक से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री नायक के पत्र, दिनांक–23.02.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें कोई नया तथ्य संज्ञान में नहीं लाया गया है और पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण को ही हू–ब–हू दोहराया गया है।

अतः श्री नायक के द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध **पेंशन नियमावली के नियम–139(बी) के तहत् 5(पाँच) प्रतिशत पेंशन राशि की एक वर्ष की अवधि के लिये कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री लाल मोहन नायक, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–384/2014 का०–7108/राँची, दिनांक 07 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि– विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।